न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–470/2026

CNR No. UPGD01001417-2026

झिन्ने सिंह उर्फ अरविन्द सिंह, आयु करीब 48 साल, पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भटपुरवा, थाना–परसपुर, जिला–गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....अभियोजन।

दिनांकः 09.03.2026

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **झिन्ने सिंह उर्फ अरविन्द सिंह** की ओर से अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–163/2015, धारा–60 आबकारी अधि0 व धारा 272, 273 भा0दं0सं0, थाना–करनैलगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. वादी मुकदमा उप निरीक्षक राम दरश यादव द्वारा थाना करनैलगंज गोण्डा में दिनांक 14.05.2015 को समय 11:30 बजे पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि दिनांक 14.05.2015 को वह मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मामूर था कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि 3 व्यक्ति जहरीली शराब मोटरसाइकिल से लेकर धोरहर मोड़ की तरफ से आ रहे हैं, जिस पर विश्वास करके वह उक्त स्थान पर पहुॅचे तो देखा कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिन्हें रोकने पर वे मुड़कर भागने का प्रयास किये, जिन्हें ललकार कर रोका गया तो एक व्यक्ति भाग गया, जबकि पीछे बैठे दो व्यक्ति पकड़ लिए गये, जिनसे उनका नाम पूछने पर एक ने अपना नाम राकेश सिंह, दूसरे ने विकास सिंह बताया, जिनके कब्जे से 10–10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम पूछने पर उनके द्वारा झिन्ने सिंह बताया गया। मौके से बरामद मोटरसाइकिल की डिग्गी से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई तथा बरामद मोटरसाइकिल झिन्ने सिंह की पायी गई। पकड़े गये अभियुक्तगण ने बताया कि उनके द्वारा शराब में यूरिया व नौसादर मिलाया गया है। शराब ले जाने के सम्बन्ध में कागजात दिखाने में कासिर रहे। अभियुक्तगण को उनका अपराध बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद शराब व मोटरसाइकिल को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द तैयार की गई।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसका कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा उसे फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। कथित मोटरसाइकिल उसके नाम पंजीकृत है, जिसे सह अभियुक्तगण उससे

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.13 11:31:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मांगकर ले गये थे, जिस कारण पुलिस ने उसे नामित कर दिया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही वह मौके से पकड़ा गया है, क्योंकि कथित घटना के दिन वह बीमार था और चारपाई पर पड़ा था। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से झूठी लिखायी गई है। उसे इस मुकदमें की कोई जानकारी नहीं थी, जब न्यायालय द्वारा उसे समन भेजा गया है तो उसे जानकारी हुई है। उपरोक्त मामले में सह अभियुक्त का विचारण किया जा चुका है और वे दोषमुक्त हो चुके हैं। समता के आधार पर वह अग्रिम जमानत का पात्र है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ यूरिया एवं नौसादर अपमिश्रित शराब का परिवहन बेचने के लिए किया जा रहा था तथा पुलिस द्वारा रोकने पर आवेदक/अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जबकि अभियुक्त की मोटरसाइकिल से 10 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब एवं सह अभियुक्तगण के पास से 10–10 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 2015 में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और सह अभियुक्तगण का विचारण भी हो चुका है, जबकि वर्तमान अभियुक्त के उपस्थित न आने और उसके सहयोग न करने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित हो रही है, ऐसे में यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाता है तो उसके पुनः उपस्थित न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण अत्यन्त ही गंभीर एवं आजीवन करावास तक के दण्ड से दण्डनीय है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य बताया है।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन अभिलेखों के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ यूरिया एवं नौसादर अपमिश्रित कच्ची शराब का परिवहन बेचने के लिए करते हुए पुलिस बल द्वारा रोके जाने पर आवेदक/अभियुक्त के मौके से फरार हो जाने और उसकी मोटरसाइकिल से 10 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब एवं सह अभियुक्तगण के पास से 10–10 लीटर कच्ची शराब बरामद होने का अभियोग लगाया गया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2015 का है और विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र वर्ष 2015 में प्रेषित किया जा चुका है तथा पत्रावली लगातार वर्ष 2017 से हाजिरी मुल्जिम में चल रही है और आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जमानतीय आदेशिकाएं भी न्यायालय द्वारा लगातार जारी की जा रही हैं, इसके बावजूद आवेदक/अभियुक्त न्यायालय पर उपस्थित नहीं आ रहा है, जिस कारण अत्यन्त ही प्राचीन मामले की कार्यवाही विलम्बित हो रही है।

सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने पर उपस्थित न आने और जमानत शर्तों का उल्लंघन करने की आख्या प्रस्तुत की गई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना होने का कथन नहीं किया गया है।

8. उपरोक्त विशलेषण से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध में सम्मलित होने का स्पष्ट आरोप है और अभियोजन द्वारा अभियुक्त की अभिकथित अपराध में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त को उपरोक्त मामले में हैरान परेशान करने या अपमानित करने के लिए झूठा फंसाया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। प्रस्तुत मामले में अन्यथा भी कोई आपवादिक स्थिति नहीं है, जिससे उसके अग्रिम जमानत की याचना पर विचार किया जाए। प्रकरण अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त दाण्डिक अपील **(SLP(Crl.) No.(s). 10251 of 2025) निकिता जगन्नाथ शेट्टी उर्फ निकिता विश्वजीत जाधव बनाम दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य** में पारित निर्णय दिनांकित 21.07.2025 एवं विधि व्यवस्था **श्रीकान्त उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2024 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 282** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में भी अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

9. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त झिन्ने सिंह उर्फ अरविन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **झिन्ने सिंह उर्फ अरविन्द सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–163/2015, धारा–60 आबकारी अधि0 व धारा 272, 273 भा0दं0सं0, थाना–करनैलगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–470/2026 **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–09.03.2026

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863